जागरण

हिमाचल प्रदेश की फार्मा कंपनी में बनी पांच लाख की नकली दवाएं वाराणसी में जब्त

वाराणसी : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गुरुवार को नकली दवा के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए पांच लाख की दवाएं जब्त कर लीं। हिमाचल प्रदेश के क्योर हेल्थ फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड व संबंधित कंपनियों के नाम से बनी जीवन रक्षक दवाओं की नकली खेप भेलूपुर स्थित एस मेडिकल एजेंसी से शहर के मेडिकल स्टोरों को आपूर्ति की जा रही थी। इसमें गंभीर संक्रमण की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शन व दवाएं शामिल हैं।

वास्तव में एक नर्सिंग होम के मेडिकल स्टोर पर एक अगस्त को कुछ दवाओं को देख अफसरों को शक हुआ था। छानबीन में पता चला कि इन्हें भेलूपुर स्थित एस मेडिकल स्टोर से मंगाया गया है। शक के आधार पर कई एंटीबायटिक दवाओं के सैंपल लिए गए थे। साथ ही जांच के लिए लखनऊ के राजकीय जन प्रयोगशाला में सैंपल भेजा गया था। गुरुवार को रिपोर्ट मिलते ही मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी कर नकली दवाएं जब्त कर ली गईं।

औषधि निरीक्षक एके बंसल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित क्योर हेल्थ फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड में बने टाइजो इंजेक्शन में पिपरासीलीन एंड टैजोवैक्टम की मात्रा प्रति वायल क्रमश: 42 तथा 47 प्रतिशत ही पाई गई जो मानक से भी कम है। इस कंपनी की दूसरी दवा सेफीज-200 में सेफेक्जिम की मात्रा 83.17 पाई गई। यह भी मानक के विपरीत है। इसी फर्म की तीसरी दवा जावीक्लेव सस्पेंशन जो कि बच्चों को दी जाती है, का नमूना अंकुर फार्मा बाजार डिया वाराणसी से लिया गया था। इनमें भी अमोक्सीसिलिन 84 प्रतिशत और पोटैशियम क्लेवनेट 79 प्रतिशत होने के कारण अधोमानक पाया गया।

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/varanasi-city-fake-medicines-worth-five-lakh-seized-from-the-medical-agency-in-varanasi-sample-was-sent-to-laboratory-for-examination-23054235.html